# राजस्थान सरकार

# सूचना अधिकार अधिनियम 2005

निदेशालय कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जनपथ,

ज्योति नगर, जयपुर

## 1. अपने संगठन की विशिष्टयॉ, कृत्य और कर्तव्य

**A.** निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर वित्त विभाग के अधीन राज्य सरकार के वित्तीय लेखांकन तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के संस्थापन तथा नियंत्रण के लिये उत्तरदायी है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम/द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग का संस्थापन एवं नियंत्रण यथा नियुक्ति/पदस्थापन एवं स्थानान्तरण संबंधित कार्य किये जाते है।

**B.** निदेशालय कोष एवं लेखा का गठन राज्य के सभी कोषालयों/उपकोषालयों पर तकनीकी एवं वित्तीय नियंत्रण, बजट एवं कोष कार्यालयों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का संचालन तथा कोषालयों से प्राप्त विभिन्न विभागों के आय एवं व्यय के मासिक आंकड़े संकलित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराना। साथ ही राज्य के कोषालयों द्वारा रक्षा पेंशन भुगतान से सम्बन्धित वाउचर रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद को प्रेषित कर उसके पुनर्भरण प्राप्त करने के कार्य में महालेखाकार, राजस्थान को सहयोग प्रदान करना। राज्य कर्मचारियों को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के खातों का कोषालयों के माध्यम से संधारण। अल्प बचत एवं लॉटरी विभाग के बकाया कार्यों का निष्पादन करना।

## 2. अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ :

विभाग में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के नियुक्ति अधिकारी निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये निदेशालय में परियोजना निदेशक (IFMS) सह अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट) प्रभारी अधिकारी तथा अधीनस्थ लेखा सेवा अनुभाग प्रथम जिसके प्रभारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–प्रथम) हैं, द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का संस्थापन संबंधी कार्य किया जाता है। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग अनुभाग द्वितीय एवं तृतीय, जिसके प्रभारी संयुक्त निदेशक (कार्मिक–द्वितीय एवं तृतीय) हैं, द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II तथा खण्डीय लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकारो के संस्थापन का कार्य किया जाता है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लेखाकर्मियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के संधारण का कार्य गोपनीय अनुभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–प्रथम) है।

इसके अतिरिक्त विभागीय प्रशासनिक कार्य हेतु तथा कोष संबंधी कार्य के लिए राजस्थान लेखा सेवा के चयन वेतन श्रृंखला के 4 पद स्वीकृत है। प्रशासन अनुभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो के लिये निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रभारी अधिकारी हैं। जिसके अधीन संस्थापन शाखा, भुगतान शाखा, स्टोर/वित्त भवन रख–रखाव शाखा, रिकॅार्ड शाखा एवं पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण शाखा है। संस्थापन शाखा द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति कार्य, वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृति, एसीपी/चयनित वेतनमान स्वीकृति, अनुकम्पात्मक नियुक्ति, सेवानिवृति पर पेंशन स्वीकृत करवाने संबंधी कार्य तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सेवा प्रदायगी प्रकोष्ठ से संबंधित प्रशासनिक कार्य संपादित किये जाते हैं। भुगतान शाखा विभाग में कार्यरत स्टाफ के

मासिक संवेतन, समर्पित अवकाश भुगतान, सेवानिवृति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में भुगतान, कार्यालय संचालन हेतु विद्युत, पानी, वाहन किराया, कम्प्यूटर किराया राशि का भुगतान, भवन की सुरक्षा में लगे गार्डस् को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। स्टोर/भण्डार शाखा विभाग में दैनिक कार्य में उपयोग यथा फर्नीचर स्टेशनरी कम्प्यूटर संबंधी सामान का क्रय एवं रख रखाव व पुराने तथा अप्रचलित सामान की नीलामी करने संबंधी कार्य, भवन के रख रखाव व भवन की सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जाते हैं। रिकॉर्ड शाखा द्वारा विभाग की पुरानी पत्रावलियों का संधारण किया जाता है।

**3. <u>विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालना की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है –</u>**

विभाग में प्राप्त पत्र, पत्र प्राप्ति व प्रेषण शाखा में प्राप्त किये जाते है। विभाग में रोजाना प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति एवं प्रेषित किये जाने वाले पत्रों का प्रेषण संबंधित अनुभाग में किया जाता है। कार्य में सुविधा की दृष्टि से एक कार्मिक प्रेषित किये जाने वाले पत्रों से संबंधित कार्य यथा डाक रजिस्टर संधारण, काम में लिए पोस्टेज स्टाम्प्स् का रजिस्टर व प्रेषित किये जाने वाले पत्रों को भेजने संबंधी कार्य करता है तथा दो कार्मिक विभाग में आने वाले पत्रों को प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी, आवक–जावक शाखा (प्रशासन) द्वारा पत्रों को मार्किंग कर पत्र प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित शाखा की डाक वितरण पंजिका में दर्ज कर संबंधित शाखा में वितरित करते है। संबंधित पत्रावली पर पत्र को शाखा प्रभारी अधिकरी के माध्यम से संबंधित अधिकारी को नियमों के संदर्भ अंकित करते हुए, नियमों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रकरण पर निर्णय लिया जाता है। निदेशक महोदय/महोदया की स्वीकृति होने पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रकरण में पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही निर्धारित हो जाती है।

**4. <u>अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड :</u>**

लागू नही है।

**5. <u>अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेखः</u>**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सेवा नियम, RTPP Act 2012, RTPP Rules,2013, राजस्थान लेखा सेवा नियम,यात्रा भत्ता नियम, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, कोषागार नियम 2012, बजट मैनुअल एवं वित्त (GF&AR), विभाग के परिपत्र दिनांक 04.02.2019 में वर्णित/प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति नियम, वार्षिक कार्य मूल्यांकन नियम आदि के अनुसार प्रकरणों पर कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

**6. <u>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरणः</u>**

विभाग के विभिन्न अनुभागों द्वारा निम्नानुसार पंजिकायें रखी जाती है :–

1. पत्र प्राप्ति पंजिका ।
2. पत्र जावक/प्रेषण (डिस्पेच) पंजिका ।
3. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं कनिष्ठ लेखाकारों का जिलेवार पोस्टिंग रजिस्टार।
4. संवर्गानुसार उक्त पदो के स्वीकृत पदो का विभागवार विवरण पंजिका ।
5. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारियों का व्यक्तिगत पंजिकाऐं।
6. अधीनस्थ लेखा सेवा के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु संवर्गवार व कार्मिकवार अलग–अलग पंजिकाऐं।
7. प्रत्येक वर्ष अप्रेल की स्थिति में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं कनिष्ठ लेखाकारों की वरिष्ठता सूचियॉ।
8. उक्त के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज यथा निलम्बित कार्मिकों की सूचनाएं एवं उनकी बहाली से सम्बन्धित पंजिका, अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण पंजिका, वित्तीय वर्ष से संबंधित सेवानिवृत कार्मिकों की सूचना संबंधित रजिस्टर इत्यादि।
9. CMIS रजिस्टर, विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों के प्रत्युत्तर की पत्रावली।

7. **किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः**

निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर ए–ब्लॉक तृतीय तल, वित्त भवन जनपथ, जयपुर, ई–मेल : dir-ta-rj@nic.in टेलीफोन नम्बर 0141–2740239

**8. <u>ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के , जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के लिए कार्यवृत तक जनता की पहुॅच होगी :</u>**

लागू नही है।

## 9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाः—

विभाग में अधिकारी/कर्मचारी विभागीय कार्य सामान्य कार्यालय पद्धति के अनुसार सम्पादित करते है। विभाग के मुख्य—मुख्य अधिकारियों की सूची।

| Detail | | | Phone No. PA (PABX NO) | | | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S.No** | **Name** | **Designation** | **IP** | **PABX** | **Telephone** | **Email** |
| 1 | Mrs. Sandhya Sharma | Jt.Secretary and Director (Treasury and Accounts) | 28653 | 1301 | 2740239 | dir-ta-rj@nic.in |
| 2 | Lakhpat Meena | Additional Director (P-I) | 22314 | 3301 | 2740837 | Adp1.dta@rajasthan.gov.in |
| 3 | Manish Shukla | Additional Director (IFMS) | 22313, 24791 | 1202 | 2743752 | jdb-ta-rj@nic.in |
| 4 | Rekha Meena | Joint Director (Administration) | 24626 | 2201 | 2744861 | jdadm.dta@rajasthan.gov.in |
| 5 | Seema Kaushal | Joint Director(P-II / P-III) | 22312 | 3301 | 2740735 | Jacct.dta@rajasthan.gov.in |
| 6 | Ramkesh Meena | Joint Director (Kosh) | 22315 | 1206 | 2744366 | ddt-ta-rj@nic.in |
| 7 | Rajeev Bhatnagar | Joint Director (IT) | 28655 | 1205 | 2744488 | ddit.dta@rajasthan.gov.in |
| 8 | Renu Bakshi | Deputy Legal Remembrancer | -- | 1207 | ---- | legal.dta@rajasthan.gov.in |
| 9 | Shobhit kumar Bansal | Deputy Director (IFMS)/ T.O. Cyber Treasury | - | 3207 | --- | EmployeeHelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in |
| 10 | Mayank Shukla | E-treasury officer | 22317 | 2004 | 2744295 | e-to-rj@nic.in |
| 11 | Bharti Shekhawat | Deputy Director (P-ll/lll) | - | 3305 | 2740735 | Jacct.dta@rajasthan.gov.in |
| 12 | Saurabh Parashar | Senior Accounts Officer | -- | -- | ---- | to.cybertry@rajasthan.gov.in |
| 13 | Hinglaj Dan | Assistant Director | - | 1308 | --- | hinglaajchaaran@gmail.com |
| 14 | Pratima Goyal | Assistant Director | -- | - | 2740837 | pratimagoyal.07@gmail.com |
| 15 | Kritika Yadav | Assistant Director | -- | -- | 2740735 | jacct.dta@rajasthan.gov.in |
| 16 | Santosh Chechi | Assistant Director(IFMS) | 24792 | 1308 | --- | aaopaymanager.ifms@rajasthan.gov.in |
| 17 | Rahul Kumar Chhimpa | ACP (Dy.Director), IFMS | 23489 | 00000 | - | rkchhimpa.doit@rajasthan.gov.in |
| 18 | Bajrang Singh Shekhawat | Sr. Private Secretary | - | 1201 | 2740239 | bsj.2772@rajasthan.gov.in |
| 19 | Kapil Kumar Singhal | Establishment Officer | - | 1214 | -- | |
| 20 | Suresh Kumar Verma | Accounts Officer | -- | 1211 | -- | aaowam.ifms@rajasthan.gov.in |
| 21 | Prakash Yadav | Accounts Officer/ DO (Adm) | -- | 1212 | -- | |
| 22 | Ram Kishore Sharma | Programmer | 22310 | 22310 | 2744488 | rksharma.doit@rajasthan.gov.in |
| 23 | Irfan Ahmad Kureshi (IFMS) | Programmer | 24794/ 24794 | - | 01412924794, 01412924795 | |
| 24 | Lalit Kumar (IFMS) | Programmer | - | - | - | lalitkumar5.doit@rajasthan.gov.in |
| 25 | Rohit Gupta | Programmer | - | - | - | rohitgupta.doit@rajasthan.gov.in |
| 26 | Akansha Sharma (IFMS) | Programmer | - | - | - | programmer1.ifms@rajasthan.gov.in |
| 27 | Devendra Taneja | Private Secretary | -- | 3303 | 2740837 | |

**10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो :**

## निदेशालय में स्वीकृत पद

(31-12-2025 की स्थिति)

| क्र.सं. | पद का नाम | निदेशालय कोष एवं लेखा | | |
|---|---|---|---|---|
| | **(अ) राजपत्रित अधिकारी** | **स्वीकृत पद** | **कार्यरत पद** | **रिक्त पद** |
| 1. | निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 2. | परियोजना निदेशक IFMS सह अतिरिक्त निदेशक कोष एवं बजट | 1 | 1 | 0 |
| 3. | अतिरिक्त निदेशक | 2 | 1 | 1 |
| 4. | संयुक्त निदेशक | 4 | 3 | 1 |
| 5. | सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) | 1 | 1 | 0 |
| 6. | उप निदेशक | 3 | 3 | 0 |
| 7. | उप निदेशक कम ए.सी.पी | 1 | 1 | 0 |
| 8. | वरिष्ठ लेखाधिकारी | 2 | 2 | 0 |
| 9. | कोषाधिकारी (ई–कोषालय) | 1 | 1 | 0 |
| 10. | कोषाधिकारी (साईबर ट्रेजरी) | 1 | 0 | 1 |
| 11. | लेखाधिकारी | 7 | 7 | 0 |
| 12. | सहायक निदेशक | 7 | 4 | 3 |
| 13. | अतिरिक्त कोषाधिकारी | 2 | 0 | 2 |
| 14. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I | 18 | 18 | 0 |
| 15. | सहायक कोषाधिकारी | 3 | 1 | 2 |
| 16. | उप विधि परामर्शी | 1 | 1 | 0 |
| 17. | वरिष्ठ विधि अधिकारी | 2 | 1 | 1 |
| 18. | प्रोग्रामर | 6 | 6 | 0 |
| 19. | वरिष्ठ निजी सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 20. | निजी सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 21. | अतिरिक्त निजी सचिव | 2 | 1 | 1 |
| 22. | संस्थापन अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 23. | प्रशासनिक अधिकारी | 3 | 1 | 2 |
| 24. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 8 | 6 | 2 |
| | **योग (अ)** | **79** | **62** | **17** |
| | **(ब) अराजपत्रित अधिकारी** | | | |
| 1. | निजी सहायक ग्रेड–I | 2 | 0 | 2 |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II | 35 | 35 | 0 |
| 3. | निजी सहायक ग्रेड–II (आशुलिपिक) | 4 | 3 | 1 |
| 4. | कनिष्ठ लेखाकार | 46 | 30 | 16 |
| 5. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 15 | 14 | 1 |
| 6. | वरिष्ठ सहायक | 26 | 24 | 2 |
| 7. | कनिष्ठ सहायक | 42 | 35 | 7 |
| 8. | सहायक प्रोग्रामर | 6 | 5 | 1 |
| 9. | सूचना सहायक | 3 | 3 | 0 |
| 10. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 11. | वाहन चालक | 3 | 1 | 2 |
| 12. | मशीन मैन | 1 | 0 | 1 |
| 13. | जमादार | 2 | 1 | 1 |
| 14. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 34 | 7 | 27 |
| | **योग (ब)** | **220** | **158** | **62** |
| | **योग (अ+ब)** | **299** | **220** | **79** |

**नोटः–** कनिष्ठ लेखाकारो के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I एवं सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II अस्थाई रूप से कार्यरत हैं।

**11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियांः**

**राज्य निधि** **(राशि लाख रूपयों में)**

| क्र. सं. | मद | वर्ष 2025-26 के लिये स्वीकृत मूल अनुदान | 31 दिसम्बर, 2025 तक व्यय | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 2054-00-095-01-00<br>दत्तमत (निदेशालय) | 3423.31 | 2601.92 | |
| 2 | 2054-00-095-01-00<br>प्रभृत (निदेशालय) | 0.01 | 4.13 | |
| 3 | 2054-00-097-05-01<br>दत्तमत (कोष/उपकोष) | 20005.50 | 15732.05 | |
| 4 | 4059-80-051-(42)-00-17 | 2281.00 | 40.97 | |
| 5 | 4059-80-796-(02)-(01)<br>4059-80-789-(07)-(01)-17 | 280.00<br>360.00 | 0.00<br>0.00 | |
| 6 | 2054-00-097-(01)-00-05 | 70.00 | 27.42 | |
| 7 | 2054-00-097-(03)-00-62 | 9384.00 | 3067.18 | |
| 8 | 2054-00-800-05-01<br>(CMSDC) | 1902.13 | 8.11 | |
| 9 | 2054-00-190-01-01 | 287.77 | 100.00 | |
| 10 | 2054-00-800-06-01 | 1390.00 | 1028.00 | |
| 11 | 2054-00-800-07-01 (SHPP) | 3250.00 | 0.90 | |
| 12 | 2054-00-097-06-01 | 0.01 | 298.98 | उक्त बजट शीर्ष अनुपूरक अनुदान मांग (प्रथम) में खोला गया। |
| | **योग** | **42633.73** | **22909.66** | |

**12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :**

लागू नहीं है।

**13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :**

लागू नहीं है।

**14. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो:**

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियां एवं इस संवर्ग के पदस्थापन/स्थानांतरण तथा अन्य सभी प्रकार के आदेशों की प्रतियां विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

**15. सूचना अभिप्राप्त कराने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :**

लागू नहीं है।

**16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पद के सूचना निम्न तालिकानुसार हैं :**

| Detail | | | Phone No. PA (PABX NO) | | | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S.No.** | **Name** | **Designation** | **IP** | **PABX** | **Telephone** | **Email** |
| **प्रथम अपीलीय अधिकारी** | | | | | | |
| 1 | Mrs. Sandhya Sharma | Jt.Secretary and Director (Treasury and Accounts) | 28653 | 1302 | 2740239 | dir-ta-rj@nic.in |
| **लोकसूचना अधिकारी** | | | | | | |
| 1 | Lakhpat Meena | Additional Director (P-I) | - | 3308 | 2740837 | adp1-ta-rj@rajasthan.gov.in |
| 2 | Seema Kaushal | Joint Director (P-II / P-III) | 22312 | 3301 | 2740735 | jacct.dta@rajasthan.gov.in |
| 3 | Ramkesh Meena | Joint Director (Kosh) | 22315 | 1206 | 2744366 | ddt-ta-rj@nic.in |

**17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए :**

लागू नहीं है।